न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीखफैसला
52/2023	20/06/2022	24/07/2023

पंचायत राज विभाग जरिये खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा हाल गोपाल लाल मीणा कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा राजस्थान

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड इटावा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा विभागीय अधिकृत प्राधिकारी की हैसियत में इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया कि ग्राम इटावा पटवार क्षेत्र इटावा तहसील पीपल्दा के राजस्व रिकॉर्ड में खतौनी संख्या नयी 1321 पुरानी 1160 खसरा संख्या 2498 रकबा 0.30 हैक्टर गै0मु0 सड़क के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि को वाद पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व गत खसरा संख्या 699 से कायम किया गया है, उक्त आराजी खसरा संख्या 699 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि से कायम किया गया है। सेटलमेंट से पूर्व बिना नाम काबिज काश्त गै0मु0 खलियान के रूप में दर्ज उक्त आराजी को सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान त्रुटिवश खसरा संख्या 2498 गै0मु0 सड़क (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के खाते दर्ज कर दिया गया, जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वादी उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड को संशोधित करवाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्ववत किस्म गै.मु. खलियान दर्ज करवाने का अधिकारी है। तदर्थ यह वाद माननीय न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। भूमि पर पंचायत समिति इटावा का भवन कार्यालय पंचायत समिति अवस्थित है, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटिवश उक्त भूमि का यथोचित अंकन अवस्थित अनुसार दर्ज नहीं हो पाया है। उक्त अंकन त्रुटि को संशोधित करवाने एवं उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की किस्म त्रुटि को

अंजना सहरावत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

संशोधित करवाने हेतु तदर्थ यह वाद माननीय न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। वादी एवं वादी के विभागीय प्रतिनिधिगण द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादी क्रम – 1 व 2 से तत्संबंधी निवेदन किया गया है, किन्तु प्रतिवादी क्रम – 2 द्वारा सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध होने के पश्चात भी राजस्व मामला दर्शित करने एवं प्रतिवादी क्रम – 1 द्वारा अन्तिम बार दिनांक 25.05.2023 को श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु सुझाव दिये जाने पर वाद पत्र अविलम्ब माननीय न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। प्रस्तुत वाद पत्र में राज्य शासन के प्रतिनिधिगण को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी के रूप में संबोधित किया जा रहा है। जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व यदपि दो माह का मियादी सूचना नोटिस प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। किन्तु प्रश्नगत वाद में राजस्व रिकॉर्ड के अनुचित अंकन को यथोचित दुरूस्त करवाने एवं राज्य शासन के हितों के विपरीत कोई रिलीफ क्लेम नहीं किये जाने के कारण वाद पत्र नोटिस के अभाव में ही प्रस्तुत किया जा रहा है। नोटिस मुक्ति हेतु धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। वादी को वाद पत्र संस्थित करने हेतु वाद कारण विगत दिनांक 25.05.2023. को राज्य शासन के प्रतिनिधि प्रतिवादी क्रम – 1 द्वारा वांछित रिलीफ प्रदान करने में असमर्थता जाहिर करने एवं न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर वाद कारण लगातार उत्पन्न है। वादग्रस्त कृषि आराजी माननीय न्यायालय की साधारण क्षेत्राधिकारिता में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत वाद पत्र श्रवण हेतु श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में प्रस्तुत है। अन्त मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम इटावा पटवार क्षेत्र इटावा तहसील पीपल्दा के राजस्व रिकॉर्ड में स्थित खतौनी संख्या 1321 हाल खसरा संख्या 2498 रकबा 0.30 हैक्टर गै0मु0 सड़क की किस्म परिवर्तन की जाकर पूर्ववत किस्म बिलानाम का बिलाकाश्त गै0मु0 खलियान दर्ज की जावें। वर्तमान अवस्थिति अनुसार उक्त भूमि को आरक्षित किया जाकर पंचायत राज विभाग की प्राधिकरण एजेन्सी वादी पंचायत समिति इटावा हेतु आवंटन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु प्रतिवादी क्रम 1 तहसीलदार पीपल्दा को जर्ये डिक्री आदेशित किया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब सरकार प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों को स्वीकार करते हुये वर्तमान वस्तुस्थिति मय अभिशंषा में कथन किया कि ग्राम इटावा के वर्तमान जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के अनुसार खसरा न. 2498 रकबा 0.30है.किस्म गैर मुमकिन सड़क खाता धारक सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। जो सेटलमेन्ट से पूर्व में खसरा संख्या 699 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा खाता संख्या 1 खाताधारक राज्य सरकार (सिवायचक) किस्म गैर मुमकिन खलियान दर्ज था, जिस पर वर्तमान में मौके पर पंचायत समिति भवन, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र,

अंजना सहरावत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

क्वालिटी कन्ट्रोल लेब, नवनिर्मित सभागार भवन, खण्ड विकास अधिकारी आवास पीएमएवाई प्रोटोटाईप आवास एवं कर्मचारियों के आवास इत्यादि अवस्थित है। जिसको सेटलमेंन्ट से पूर्व की स्थिति (खाता संख्या 1 खाता धारक राज्य सरकार (सिवायचक) किस्म गैर मुमकिन खलियान में कायम किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवादी क्रम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वादी वकील सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया जवाब सरकार में वाद पत्र का समर्थन किया गया है। इस प्रकार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम इटावा की खसरा संख्या 2498 रकबा 0.30 हैक्टर गै0मु0 सडक की किस्म परिवर्तन की जाकर पूर्ववत खाता संख्या 1 खाता धारक राज्य सरकार (सिवायचक) किस्म बिलानाम की बिलाकाश्त गै0मु0 खलियान दर्ज की जावें। तद्नुसार तहसीलदार पीपल्दा राजस्व अभिलेख में अंकन करे। डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनवाया गया वाद फैसल शुमार होकर आज शामिल दाखिल दफतर हो।

अंकिता सहारावत
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीखफैसला
52/2023	20/06/2022	24/07/2023

पंचायत राज विभाग जरिये खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा हाल गोपाल लाल मीणा कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा राजस्थान

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड इटावा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम इटावा की खसरा संख्या 2498 रकबा 0.30 हैक्टर गै0मु0 सड़क की किस्म परिवर्तन की जाकर पूर्ववत खाता संख्या 1 खाता धारक राज्य सरकार (सिवायचक) किस्म बिना काश्त गै0मु0 खलियान दर्ज की जावें। तद्नुसार तहसीलदार पीपल्दा राजस्व अभिलेख में अंकन करें। डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनवाया गया वाद फैसल शुमार होकर आज तामिल दाखिल दफतर हो। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से दिनांक 24/07/2023 को जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	मेंहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

अंजना सहरावत

उपखण्ड अधिकारी इटावा